

## निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पत्रांक २००३/बा०वि०परि०/ए०पी०एम(ए०आर०)/२०१७-१८ दिनांक ०३ जुलाई, २०१७

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:-आंगनबाड़ी केन्द्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा के उपरान्त प्राथमिक विद्यालयों में शिशुओं के नामांकन व शिक्षा के साथ निरन्तरता बनाये रखने के लिये शिक्षकों के साथ समन्वय के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या सी ९६८, दिनांक २५ जुलाई २०१६ का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपको निर्देशित किया गया है कि ५ + वर्ष आयु पूरी करने के उपरान्त आंगनबाड़ी केन्द्र पर नामांकित बच्चों का नामांकन प्राथमिक स्कूल में करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए, जिससे कोई भी बच्चा स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रह जाए।

इसी के क्रम में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि इस कार्य को ०१ से ०७ जुलाई २०१७ के मध्य बाल विकास परियोजना अधिकारी/मुख्य सेविका/आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के माध्यम से, शिक्षा विभाग से समन्वय के साथ कराना सुनिश्चित कराएं। साथ ही आपके स्तर से की गई कार्यवाही का विवरण निम्न प्रारूप पर उपलब्ध कराएं :-

जनपद का नाम:-

क०सं०	बाल विकास परियोजना का नाम	कुल आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	आंगनबाड़ी केन्द्रों पर नामांकित ५ + वर्ष के बच्चों की संख्या	प्राथमिक विद्यालय में नामांकित कराए गए बच्चों की संख्या

(राजेन्द्र कुमार सिंह)  
निदेशक

पुष्ठांकन संख्या तददिनांक

प्रतिलिपि:- सचिव, बाल विकास एवं पुष्ठाहार विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन को सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रेषित।

(राजेन्द्र कुमार सिंह)  
निदेशक